खंड 1, सख्या 144

राष्ट्र महिला

जुलाई 2011 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

चर्चा में
सेक्स कर्मियों का पुनर्वास

उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स कर्मियों के लिए कही गयी यह बात स्वागत योग्य है कि वे जीवित बचे रहने के लिए देह व्यापार का पेशा अपनाने को मज़बूर हुई हैं। न्यायालय ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया है वे इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगारी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें ताकि वे प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन कर सकें ।

परन्तु उच्चतम न्यायालय यह भी महसूस करता है कि यह कोई सरल कार्य नहीं है । न्यायालय ने कहा : ''हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि सेक्स कर्मियों को हमारे आदेश मात्र से तुरंत पुनर्वासित नहीं किया जा सकता । राज्यों को न केवल उनके पुनर्वास की योजनाएं तैयार करनी होंगी अपितु उनकी समस्या के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ठोस परिणाम भी प्राप्त करने होंगे, चाहे यह कार्य चरणबद्ध तरीके से ही क्यों न किया जाये।''

न्यायालय ने एक समिति गठित की और उसे ऐसे सेक्स कर्मियों की सूची तैयार करने को कहा जो बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही हैं और अपने पुनर्वास के लिए राजी हैं। प्रारंभ में इसमें चार महानगरों को लिया जायेगा । न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा का जीवन जीना एक संवैधानिक अधिकार है और इस मुद्दे पर सुझाव मांगे कि जो सेक्सकर्मी 'प्रतिष्ठा के साथ इस पेशे में रहने आना चाहती हैं उनके लिए क्या दशाएं निर्धारित की जायें ।

सेक्स कर्मियों की अवस्था की तुलना साहित्य में वर्णित ऐसी महिला चरित्रों से करते हुए जिन्होंने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, न्यायालय ने समाज से अपील की कि उन्हें हिकारत की नजर से देखने के बजाय उनके प्रति सहानुभूति दिखायें ।

यह टिप्पणी करते हुए कि सरकार ने इस विषय पर अब तक प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है, न्यायालय ने कहा कि उसके पहले वाले आदेश पर सेक्स कर्मियों की पुनर्वास संबंधी योजनाओं पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दायर किए गये हलफनामे ''गोलमाल और बहुत सामान्य'' हैं और इसलिए सभी राज्यों के समाज कल्याण विभागों के सचिवों को आदेश दिया कि ''उचित'' योजनाएं तैयार करने के प्रयोजन से वे न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष से मिलें ।

न्यायालय ने स्वीकार किया कि ''इसमें लम्बा समय लगेगा किन्तु हमें धैर्य के साथ कार्य करना है । इस मामले में हमने देश में सेक्स कर्मियों की वर्तमान परिस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है । अंततोगत्वा तो देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, द्वारा ही सेक्स कर्मियों की वृहत समस्याओं का अपने आदर्शवाद एवं देश प्रेम की भावना से समाधान किया जा सकता है ।''

उच्च न्यायालय ने नींव डाल दी है और हम आशा करते हैं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें सेक्स कर्मियों के पुनर्वास की क्रियात्मक योजनाएं यथाशीघ्र तैयार करेंगी ताकि वे समाज में अपना अधिकारिक स्थान प्राप्त करें और प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन कर सके ।''

एफ०आई०आर० दर्ज न करने पर पुलिस कर्मी को निलम्बित किया जायेगा

'राजधानी शर्मसार : 48 घंटों में पांच बलात्कार' शीर्षक से समाचार पत्रों में छपी खबर पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के बलात्कार तथा उन पर होने वाले अत्याचारों के बढ़ते हुए मामलों के विरूद्ध कठोर उपायों का सुझाव दिया है । विभाग ने कहा है कि बलात्कार के मामलों को त्वरित न्यायालयों के जरिये तय किया जाना चाहिए और सुनवाई दिन प्रतिदिन होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों की एफ०आई०आर० तुरंत दर्ज की जानी चाहिए और किसी भी विलम्ब, टालमटोल, ढिलाई आदि की चालबाजी के लिए चेतावनीयुक्त सजा की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ, ''एफ०आइ०आर० दर्ज न करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को तुरंत निलंम्बित किया जाये।''

ऐसे उपायों का प्रखर प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं में सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा की भावना जागेगी । मंत्रालय में बलात्कार संबंधित कानूनों में संशोधन किए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। कानूनों को अधिक कठोर बनाया जायेग और बलात्कार की परिभाषा बदलने पर भी विचार किया जा रहा है । इस मामले पर एक समिति विचार कर रही है ।

बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देने की एक योजना हाल ही में प्रारंभ की गयी। इस योजना के अंतर्गत, बलात्कार पीड़ित को 2 लाख ₹ तक दिए जायेंगे । पीड़ित यदि नाबालिग अथवा विकलांग हो या मानसिक रूप से अशक्त हो, तो यह राशि 3 लाख ₹ तक बढ़ाई जा सकती है ।

सुश्री ममता शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा नियुक्त किया गया

सुश्री ममता शर्मा ने 2 अगस्त, 2011 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का कार्यभार संभाल लिया। इससे पूर्व, वह राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी ।

एक सुख्यात राजनीतिक परिवार से आने वाली सुश्री शर्मा ने 1985 में राजनीति में प्रवेश किया और 1986 में उन्हें राजस्थान रेड क्रास सोसायटी का कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया गया। तत्पश्चात वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की महासचिव बनीं । वर्ष 1998 में उन्होंनें बूंदी से विधान सभा का चुनाव जीता और 2002 में मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने पर उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया गया।

वर्ष 2003 में उन्हें बूंदी से पुनः राज्य विधान सभा के लिए चुना गया और राज्य की 18 महिला उम्मीदवारों में जीतने वाली वह अकेली महिला थी ।

सुश्री शर्मा ने भारत तथा विदेशों की विस्तृत यात्रा की है और अपने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के विविध अनुभव की पृष्ठभूमि के साथ वह महिलाओं के निमिन्तों को समर्पित सक्रिय एवं गतिमान नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ होंगी ।

हम सुश्री ममता शर्मा का आयोग में स्वागत करते हैं और उनके पूर्ण सफल कार्यकाल की कामना करते हैं ।

राज्यों द्वारा जिला स्तर पर मानव व्यापार विरोधी एकक स्थापित किए जायेंगे

पिछड़े हुए जिलों से लड़कियों तथा बच्चों का व्यापार किए जाने में लगातार वृद्धि होने के मामले सामने आने पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से जिला स्तर पर तुरंत मानव व्यापार विरोधी कक्ष स्थापित करने तथा स्थिति पर निगरानी रखने के लिए शीर्ष अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। केन्द्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कानून प्रवर्तन अभिकरणों को पुष्ट किया जाये। राज्यों को यह परामार्श भी दिया गया हैं कि स्थिति का वरीयता के आधार पर मुकाबला करने के लिए हेल्पलाइन तथा पुलिस थानों पर विशेष कक्ष एवं कंट्रोल रूम स्थापित करें। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार संबंधित कानूनों को कठोर बनाने पर भी विचार कर रही है।

थाइलैंड के प्रतिनिधि-मंडल का आयोग में आगमन

राजनीति में भारतीय महिलाओं की स्थिति को समझने और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विकास की जानकारी लेने के प्रयोजन से थाइलैंड की तीन महिला शोधकर्ताओं का एक प्रतिनिधि–मडंल राष्ट्रीय महिला आयोग में आया। सदस्या वानसुक सयीम ने प्रतिनिधि–मंडल का स्वागत किया तथा आयोग को प्रदन्त कृत्यों के बारे में ब्यौरा दिया। उप–सचिव श्री राज सिंह ने आयोग के कार्यकरण तथा गठन के बारे में प्रस्तुति दी। शोधकर्ताओं ने बताया कि थाइलैंड में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी कोई सांविधिक संस्था नहीं है और उनकी प्रमुख समस्या प्रवासियों की है। प्रतिनिधि–मंडल के सदस्यों द्वारा आयोग के कानूनी तथा शोध कक्षों के संबंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में कार्डीनेटरों लीलावती और स्मिता ने कानूनी कक्ष के कार्यकरण का विवरण दिया तथा वरिष्ठ शोध अधिकारी श्री जवाहरी सिंह ने शोध कक्ष के कार्यकरण का स्पष्टीकरण किया।

सुश्री वानसुक सयीम (दांये) थाई प्रतिनिधि-मंडल के साथ

सेक्स परीक्षण की सूचना देने वाले को रोहतक जिला प्रशासन 1 लाख ₹ देगा

हरियाणा में, जहां महिला–पुरुष अनुपात बहुत विषम है, नारी भ्रूण गर्भपात रोकने के लिए रोहतक जिला प्रशासन ने घोषणा की है जो लोग ऐसे अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की सूचना हरियाणा सरकार को देगें जो गलत ध्येय के लिए सेक्स निर्धारण परीक्षण करते हैं। उसे 1 लाख ₹ का नकद इनाम दिया जायेगा । सूचना देने वाले का नाम जाहिर नहीं किया जायेगा क्योंकि उदेश्य ऐसी हरकतों को रोकना है।

डा० चारु वजीखन्ना राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या बनाई गयी

एक प्रमुख महिला अधिकार एडवोकेट तथा भारतीय बार एसोसियेशन की पूर्व कार्यकारी सदस्य डा० चारु वलीखन्ना ने 2 अगस्त, 2011 से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या का कार्यभार संभाला ।

डा० वलीखन्ना समाजशास्त्र की एम० ए० है और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय तथा शरणार्थी कानूनों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हैं । वह महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत रही हैं तथा समाज के शोषणप्राय वर्गो, विशेषकर महिलाओं के हितों के संवर्धन के लिए काम करती रही हैं ।

उन्होंनें कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से कुछ हैं - 'महिलाओं पर हिंसा संबंधी कानून', 'महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय,' 'महिलाएं - सशस्त्र संघर्ष में मौन पीड़ित : जम्मू और कश्मीर का एक क्षेत्रीय अध्ययन । महिलाओं के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक सरल स्वावलम्बी मेनुअल तैयार किए हैं जैसे जीने का अधिकार, महिलाओं के प्रति हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज, नारी भ्रूणहत्या, यौन उत्पीड़न, एफ आइ आर कैसे दर्ज कराएं, कानूनी सहायता, पंचायती राज एवं शासन आदि ।

उनका व्यापक कानूनी ज्ञान तथा उत्पीड़ित महिलाओं के उद्धार के लिए किया गया समर्पित कार्य आयोग के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । हम डा० वलीखन्ना का आयोग में स्वागत करते हैं ।

पथभ्रष्ट गैर निवासी भारतीय पतियों के विरुद्ध कार्यवाही

गैर निवासी भारतीय दूल्हों के धोखेबाजी से किए जाने वाले विवाहों की संख्या में, विशेषकर पंजाब में, तेजी से वृद्धि हुई है । यह देखते हुए, जलंधंर के पासपोर्ट आफिस ने उन गैर निवासी भारतीय दूल्हों के पासपोर्ट जब्त करने प्रारंभ कर दिए हैं जो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं ।

यह प्रावधान पासपोर्ट अधिनियम में मौजूद है और शायद पहल बार देश में प्रयुक्त किया जा रही है । इससे परित्यक्त दुल्हनों को सहायता मिलेगी ।

अब तक, गैर निवासी भारतीयों के लगभग दो दर्जन पासपोर्ट जब्त किए जा चुके हैं । जालंधर आफिस ने एक महिला शिकायत सेक्शन भी स्थापित किया है और एक हेल्पलाइन प्रारंभ की है जहां परित्यक्त दुल्हनें अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं । पासपोर्ट आफिस ने उपरोक्त पासपोर्टो को जब्त करने से पूर्व 50 से अधिक गैर निवासी भारतीयों को कारण बताओ नोटिस भेजे थे । पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार, पासपोर्ट अधिकार जनहित में ऐसे अपराधियों का पासपोर्ट उन्हें नोटिस भेजने के बाद जब्त अथवा मुल्तवी कर सकता है ।

इस प्रकार, इस अभिशाप का मुकाबला किया जा सकता है क्योंकि यह कदम देश में और देश के बाहर दोनों जगह प्रभावी है । पासपोर्ट जब्त होने पर पथभ्रष्ट पति की यात्रा समाप्त हो जाती । यदि वह भारत में हो, तो तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक कि उसके वैवाहिक विवाह का निदान कानूनन अथवा परस्पर सहमति से न हो जाये ।

राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, गैर निवासी भारतीय पतियों द्वारा 30000 परित्यक्त महिलाओं में से 15000 पंजाब के दोआबा क्षेत्र की हैं ।

क्या आप जानते हैं ?

- भारत में प्रति **140** महिलाओं में एक महिला को शिशु जनन के समय मृत्यु का खतरा रहता है ।
- केवल **49%** भारतीय महिलाएं ही किसी प्रकार का आधुनिक गर्भ निरोधक प्रयुक्त करती है ।
- शिशु जनन के समय केवल **53%** को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता मिलती है ।
- भारतीय महिला की औसत प्रत्याशित आयु **66** वर्ष है – जो विश्व के निम्नतम वर्ग में है ।
- सरकारी नौकरियों में केवल **11%** महिलाएं है ।

ये आंकड़े बाल रक्षा संस्था की ''विश्व की माताओं की स्थिति 2011'' की रिपोर्ट के हैं। यह संस्था पूरे विश्व में महिला अथवा माता की खुशहाली पर निगाह रखती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 12 देशों में पांच वर्ष से नीचे की मृत्यु दर और मातृत्व दर दो तिहाई है इनमें भारत का स्थान सबसे ऊपर है । कुल मिलाकर, गत वर्ष के सूचवकांक की तुलना में भारत का स्थान और भी गिर कर 73 से 75 हो गया हैं ।

• तलाक का मामला तय होने तक पुरुष अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता : बम्बई उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपने पति के विरुद्ध दायर तलाक का मामला न्यायालय में लम्बित है, तो पति अपनी पत्नी के लिए रिहाइश का प्रबंध करने की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो जाता । न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्धेश्य असहाय एवं निराश्रित पीड़ितो को अधिक प्रभावी संरक्षक प्रदान कराना और संविधान में महिलाओं को प्रदन्त अधिकारों को आश्वस्त कराना है। महज इसलिए कि तलाक का मामला अभी चल रहा है, पत्नी को, जिस पर कथित घरेलू हिंसा की गयी, साझा घर में रहने से वंचित नहीं किया जा सकता।

• दूसरी पत्नी भी पति ना द्विविवाह का मुकदमा चला सकती है : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जिस महिला के साथ दूसरा विवाह किया गया है वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत, जिसमें द्विविवाह के लिए सात वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है, पुरुष को न्यायालय में घसीट सकती है।

• सभ्य समाज में महिलाओं के मारने-पीटने को कोई स्थान नहीं : न्यायालय

अपनी पत्नी के साथ एक मामूली झगड़े पर उसे त्रिशूल से भेदने के आरोप में दिल्ली के एक न्यायालय ने एक पुरुष को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । अतिरिक्त सेशन जज ने कारावास के अलावा उस पुरुष पर पत्नी को देने के लिए 50000 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि ''यह जरुरी है कि एक प्रबल और सष्ट संदेश जाये कि किसी सभ्य समाज में पत्नी को मारने पीटने का कोई स्थान नहीं और हिसंक पति किसी दया के पात्र नहीं होगें।

• उच्च न्यायालय ने धर्मान्तरण के बाद ममेरे भाई बहन का विवाह स्वीकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिन्दू परिवार में जन्मे चचेरे/ममेरे भाई बहन ईसाई मत अपनाने के बाद एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं और एक अवकाश प्राप्त जज द्वारा अपने मजिस्ट्रेट बेटे के विरुद्ध दायर याचिका खारिज कर दी जिसने धर्म परिवर्तन के बाद अपने मामा की पुत्री से विवाह कर लिया था । विवाह को सही ठहराते हुए जज सुरेश केट ने कहा कि ''दोनों प्रतिवादियों (युगल) ने भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सही तरीके से ईसाई धर्म में धर्मान्तरण किया है और इसलिए धर्मान्तरण करने के बाद किया गया यह विवाह 'सपिंड' रिश्ते के अंतर्गत (जो हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वर्जित है) नहीं आता।''

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।